न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. साधना शर्मा (RAS)

अपील संख्या	जीसीएमएस सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनाक
105/2025	2025/125	24.04.2025	06.04.2026

उनवान

बरजी देवी पत्नि शिवसहाय, जाति अहीर, निवासी ग्राम मांजूकोट, तहसील पावटा, जिला कोटपूनली. बहरोड, राजस्थान **अपीलान्ट**

बनाम

1 ग्राम पंचायत बुचारा, जरिये सचिव ग्राम पंचायत पण्डितपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

2 ग्राम पंचायत बुचारा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पण्डितपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान

3 तहसीलदार महोदय पावटा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड

4 सब रजिस्टार पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड

5 ख्यालीराम पुत्र जम्मनलाल जाति अहीर निवासी ग्राम मांजूकोट तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड। **रेस्पोडेन्टगण**

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 683 दिनांक 27.08.2024 द्वारा ग्राम पंचायत पण्डितपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान

निर्णय दि. 06.04.2026

1. अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री नरेश कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 31/526/0.72 वाके मौजा मांजूकोट पटवार हल्का पण्डितपुरा तहसील पावटा जिला कोटपतूली–बहरोड, राजस्थान में स्थित है।

2. अपीलान्ट का उक्त आराजी खसरा नम्बर 31/626/0.72 बाके मौजा मांजूकोट, पटवार हल्का पण्डितपुरा, तहसील पावटा, जिला कोटपुतली–बहरोड, राजस्थान में हिस्सा 1/2 है जिस पर अपीलान्ट बतौर खातेदार काश्तकार मालिक काबिज काश्त चली आ रही है । यह कि उक्त आराजी के हिस्सा 1/2 के खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 05 ख्यालीराम पुत्र जमनालाल व उसके भाई जगदीश, राधेश्याम, शिवपाल पुत्रांन जम्मनलाल थे तथा जगदीश, राधेश्याम व शिवपाल ने अपने हिस्से का हकत्याग रेस्पोडेन्ट संख्या 05 ख्यालीराम पुत्र जम्मनलाल के हक में दिनांक 9–7–2024 को कर दिया था। राजस्व कर्मचारियो की गलती व लापरवाहीं के कारण रेस्पोडेण्ट संख्या 5 के हक में हकत्याग के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करते समय अपीलाण्ट की सम्पूर्ण भूमि हिस्सा 1/2 का नामान्तकरण भी रेस्पोडेण्ट संख्या 5 के हक दर्ज कर दिया गया जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 05 के नाम उक्त आराजी में हिस्सा 1/2 ही दर्ज करना चाहिये था। अब रेस्पोडेण्ट संख्या 5 उक्त आराजी में अपीलण्ट के नाम दर्ज आराजी का सम्पूर्ण हिस्से का नामान्तकरण अपने नाम दर्ज होने के कारण अपीलाण्ट के हिस्से की आराजी को दीगर भूमाफियाओं को बेचान करने हेतु बाते कर रही हैं।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड)

3. जिसका अपीलाण्ट को गत सप्ताह मालूम चला अपीलाण्ट ने उक्त भूमिः के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी नामान्तकरण संख्या 683 की नकल निकलवाई तो तमाम तथ्यों का ईल्म हुआ। इस पर अपीलाण्ट ने सरपंच ग्राम पंचायत पण्डितपुरा व रेस्पोडेण्ट संख्या 5 5 को कई मर्तबा कहा कि नामान्तकरण संख्या 683 ग्राम पण्डितपुरा में दुरूस्ती करके अपीलाण्ट का हिस्सा 1/2 दर्ज कर दो किन्तु सरपंच ग्राम पंचायत पण्डितपुरा व रेस्पोडेण्ट संख्या 5 नही मान रहे है । इस कारण अपीलाण्ट द्वारा अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 683 दिनांकित 27–8–2024 ग्राम पण्डितपुरा पेश करनी आवश्यक हुई है। अतः जानकारी होने से अपील अन्दर मियाद पेश है। फिर भी अपील पेश करने में हुई देरी माफी है अलग से प्रार्थना–पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम अपील के साथ पेश किया जा रहा है। अपील उचित कोर्ट फीस पर पेश है। यह कि माननीय न्यायालय को अपील सुनने व तैयार करने का अधिकार है। अतः अपील पेश कर निवेदन हैं कि नामान्तकरण सं. 683 दिनांकित 27.08.2024 ग्राम पण्डितपुरा, तस्दीक ग्राम पंचायत पण्डितपुरा खारिज फरमाया जाकर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रेस्पोडन्ट संख्या 05 का नाम कलमजन किया जाकर अपीलाण्ट का नाम हाल आराजी खसरा नम्बर 31/526/0.72 वाके मौजा माजूंकोट पटवार हल्का पण्डितपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान के राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 1/2 दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें।

4. अपीलान्ट के द्वारा अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्टगण को जरिये नोटिस सूचित कर विधिवत तामिल करवायी गयी रेस्पोडेण्ट सं. 01 व 02 की तामिल होने के बावजूद अनुस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 05 स्वयं उपस्थित आकर आदेशिका पर हस्ताक्षर का अपील के समर्थन में अपनी सहमति जाहिर की। रेस्पोडेण्ट सं. 03 पैरोकार से जवाब तल्ब किया गया जो शामिल पत्रावली किया। रेस्पोडेन्ट सं. 03/परोकार राज ने अपने जवाब में जाहिर किया है नामान्तकरण संख्या 683 मौजा मांजूकोट तहसील पावटा में आराजी खसरा नम्बर 31/526 रकबा 0.72 हैक्ट0 में सहवन से सहखातेदार बरजी देवी पत्नि शिवसहाय जाति अहीर निवासी ककराना का हिस्सा ख्यालीराम पुत्र जम्मनलाल के दर्ज हो गया को दुरूस्त फरमाने के आदेश प्रदान करावे।

5. प्रकरण में वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। अपीलान्ट वकील ने अपनी बहस में बताया है कि आराजी खसरा नम्बर 31/526 रकबा 0.72 हैक्ट0 के खातेदार ख्यालीराम,जगदीश,राधेश्याम,शिवपाल पुत्रान जम्मनलाल हिस्सा 1/2 एवं बरजी देवी पत्नि शिवसहाय जाति अहीर हिस्सा 1/2 दर्ज थे। आराजी खसरा नम्बर 31/526 रकबा 0.72 हैक्ट0 के खातेदार जगदीश,राधेश्याम,शिवपाल पुत्रान जम्मनलाल द्वारा दिनाक 10.7.2024 को रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र द्वारा ख्यालीराम पुत्र जम्मनलाल के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हिस्सा हकत्याग कर दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़

6. उक्त रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र का नामान्तकरण करते समय नामान्तकरण संख्या 683 मौजा मांजूकोट आ.ख.न. 31/526 रकबा 0.72 हैक्ट0 में सहवन से सहखातेदार बरजी देवी पत्नि शिवसहाय जाति अहीर निवासी ककराना का भी हिस्सा ख्यालीराम पुत्र जम्मनलाल के दर्ज हो गया जबकि बरजी देवी द्वारा हकत्याग नही करवाया गया था। वकील अपीलान्ट ने अपील को स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 31/526 रकबा 0.72 हैक्ट0 वाके मौजा मांजूकोट, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार ख्यालीराम पुत्र जम्मनलाल हिस्सा पूर्ण में से हिस्सा 1/2 से नाम हजफ कर, हिस्सा 1/2 का खातेदार सहखातेदार बरजी देवी पत्नि शिवसहाय जाति अहीर निवासी ककराना को दर्ज किये जाने के आदेश पारित करने हेतू निवेदन किया। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यानाकर्षित करवाते राते हुए जाहिर किया कि प्रकरण में अपील स्वीकार किया जाना उचित है।

7. हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में पाया गया कि नामान्तकरण संख्या 683 ग्राम पंचायत पण्डितपुरा द्वारा आराजी हाल खसरा नम्बर 31/526 रकबा 0.72 हैक्ट0 वाके मौजा मांजूकोट प0ह0 पण्डितपुरा तहसील पावटा में दर्ज ख्यालीराम पुत्र जम्मनलाल हिस्सा 1/2 के स्थान पर हिस्सा पूर्ण सहवन से दर्ज हो गया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। तथा राज. परोकार/तहसीलदार पावटा में अपने जवाब मे भी इस बात को स्वीकार किया है कि नामान्तकरण संख्या 683 मौजा मांजूकोट तहसील पावटा में आराजी खसरा नम्बर 31/526 रकबा 0.72 हैक्ट0 में सहवन से सहखातेदार बरजी देवी पत्नि शिवसहाय जाति अहीर निवासी ककराना का हिस्सा ख्यालीराम पुत्र जम्मनलाल के दर्ज हो गया को दुरूस्त फरमाने के आदेश प्रदान करावे।

9 अतः अपीलान्ट द्वारा पेश अपील मय दफा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पावटा को आदेशित किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 31/526 रकबा 0.72 हैक्ट0 वाके मोजा मांजूकोट प0ह0 पण्डितपुरा तहसील पावटा कोटपूतली–बहरोड़ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार रेस्पाडेन्ट संख्या 05 **ख्यालीराम पुत्र जम्मनलाल हिस्सा पूर्ण में से हिस्सा 1/2 से नाम हजफ कर हिस्सा 1/2 का खातेदार** सहखातेदार **बरजी देवी पत्नि शिवसहाय जाति अहीर निवासी ककराना** को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार पालनार्थ तहरीर जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. साधना शर्मा, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)